

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

--- 0 ---

क्रमांक एफ 3-32/2019/38-1  
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30/09/2024


आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इन्द्रावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विषय :- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रवेशार्थी विद्यार्थियों के लिए "स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति-2024" लागू करने संबंधी।

---0---

उपरोक्त विषयांतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए "स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति-2024" का अनुमोदन किया गया है। उक्त नीति की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

  
30.09.2024

(राकेश कुमार ध्रुव)

अवर सचिव



छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क्रमांक एफ 3-32/2019/38-1  
प्रतिलिपि :-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /09/2024

1. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
4. सचिव, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
6. कुलपति, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय (छ.ग.)
7. कुलपति, समस्त निजी विश्वविद्यालय (छ.ग.)
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर, (छ.ग.)
9. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)
10. आयुक्त, संभाग .....
11. समस्त कलेक्टर,..... (छ.ग.)
12. अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा, रायपुर/बिलासपुर/दुर्ग/रायगुजा/बस्तर
13. समस्त प्राचार्य, ..... (छ.ग.)
14. विभागीय वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु।  
की ओर पालनार्थ/सूचनार्थ अग्रेषित,
15. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

## स्वाध्यायी विद्यार्थी नीति-2024

स्वाध्यायी विद्यार्थी से तात्पर्य नियमित रूप से प्रवेश न लेकर स्वाध्यायी (Self Study) के रूप में अध्ययन करते हैं और परीक्षाओं में शामिल होते हैं उन्हें स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में मान्य किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिये नीति निर्धारण किया जाना है। जिससे कि उन्हें भी NEP-2020 के अंतर्गत शामिल किया जा सकें। स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए स्नातक पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के अध्यादेश चार वर्षीय इंटिग्रेटेड प्रोग्राम के अनुसार अध्यादेशित होंगे। सभी राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के कारण एकरूपता लाने के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु नीति लागू किया जाना है।

### 01. स्वाध्यायी विद्यार्थियों की पंजीयन तिथि एवं अवधि का निर्धारण।

नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि की समाप्ति से स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पंजीयन हेतु 20 दिवस का समय निर्धारित होगा। विश्वविद्यालय के द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थी का पंजीयन कराया जाएगा, जिससे कि इन्हे प्रत्येक सेमेस्टर में पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। विश्वविद्यालय पंजीयन का कार्य पूर्ण कर पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों की संकायवार/विषयवार सूची संबंधित महाविद्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

### 02. सतत आंतरिक मूल्यांकन की अवधि, प्रक्रिया एवं प्राप्तांकों का विश्वविद्यालय को प्रेषण संबंधी नियमावली।

- (i) प्रत्येक महाविद्यालय अपने यहां के पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा निम्नांकित तिथियों पर आयोजित करेंगे।
  - (अ) प्रथम आंतरिक मूल्यांकन – 01 नवम्बर से 10 नवम्बर
  - (ब) द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन – 01 दिसंबर से 10 दिसंबर
  - (स) असाइनमेंट – 15 दिसंबर से 25 दिसंबर
- (ii) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु, उत्तर पुस्तिकाओं की व्यवस्था संबंधित महाविद्यालय करेंगे। प्रायोगिक परीक्षा हेतु उत्तरपुस्तिका विश्वविद्यालय द्वारा प्रदाय किया जायेगा। उत्तर पुस्तिका संबंधी रिकार्ड रखने की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की रहेगी। आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय से मंगाया जा सकता है।
- (iii) प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा 20 अंक की होगी तथा असाइनमेंट 10 अंक का होगा। दोनों आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के प्राप्तांक में से जो अधिक होगा वही प्राप्तांक तथा असाइनमेंट के अंक महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार तथा निर्धारित तिथि तक प्रेषित किया जाएगा।
- (iv) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण संबंधित महाविद्यालय के संबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जाएगा।
- (v) महाविद्यालय के स्वाध्यायी विद्यार्थियों की आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा अनुशासित तरीकों से तथा अकादमिक प्रदत्त गुणवत्ता संगतता के साथ ली जाए।
- (vi) आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन संबंधित महाविद्यालय के संबंधित विषयों के शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।

W.

- (vii) संबंधित महाविद्यालय द्वारा स्वाध्यायी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका के प्राप्तांकों को रोल नम्बर अनुसार (Foil /c Foil) बनाकर संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।

**03. प्रायोगिक विषय के विद्यार्थियों हेतु प्रायोगिक कक्षाओं का संचालन, प्रायोगिक अवधि एवं आंतरिक मूल्यांकन का निर्धारण।**

- (i) प्रायोगिक विषयों के स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु सेमेस्टर परीक्षा के 45 दिवस पूर्व प्रायोगिक कक्षाएं/लेब वर्क का संचालन अनिवार्य रूप से किया जाए एवं पाठ्यक्रम के आधार पर प्रायोगिक कार्य पूर्ण कराया जाये।
- (ii) प्रत्येक स्वाध्यायी विद्यार्थी को 30 घन्टे की प्रायोगिक कक्षा/लेब वर्क का मिलना चाहिये जो एक क्रेडिट के बराबर होगा। (ज्ञातव्य हो कि प्रायोगिक विषय में 3 क्रेडिट Theory एवं 1 क्रेडिट Practical है)
- (iii) प्रायोगिक परीक्षाएं पूर्ववत् विश्वविद्यालय के समय सारणी अनुसार ली जायेगी तथा प्राप्तांकों को संबंधित विश्वविद्यालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा। इस हेतु विश्वविद्यालय अगल से निर्देश जारी करेगे।

**04. GE, VAC, SEC चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।**

- (i) दिनांक 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक स्वाध्यायी विद्यार्थियों से चर्चा करके GE/VAC/SEC उनकी इच्छानुसार एवं महाविद्यालय की उपलब्धतानुसार आबंटित कर दिया जाएगा।
- (ii) इस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित केन्द्र अपने वेबसाइट/नोटिस बोर्ड/अन्य के माध्यम से GE/VAC/SEC की सूची उपलब्ध करायेंगे।
- (iii) आबंटित GE/VAC/SEC की सूची महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को 31 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा।

**05. अंत सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन तिथि का निर्धारण।**

- (i) परीक्षा आवेदन की तिथि एवं शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, तथा परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया एवं अन्य प्रक्रिया का निर्धारण विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जायेगा।
- (ii) परीक्षा आवेदन हेतु स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जायेगा।

**06. आंतरिक मूल्यांकन के लिए शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण।**

आंतरिक मूल्यांकन हेतु टेस्ट पेपर एवं असाइनमेंट के लिये मानदेय का दर विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु मानदेय पूर्ववत् विश्वविद्यालय के नियमानुसार रहेगा।

**07. स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित अतिरिक्त कार्य के लिए स्टाफ की आवश्यकता का निर्धारण।**

- (i) स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पंजीयन से लेकर परीक्षा तक के अधिकतर कार्य नियमित विद्यार्थियों के साथ ही किये जाने हैं तथा बहुत से कार्य विश्वविद्यालय द्वारा ही पूर्ण किये जाने हैं, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त स्टाफ की आवश्यकता

//3//

महाविद्यालय में नियुक्त अतिथि व्याख्याता को अतिरिक्त कार्य देकर पूर्ण कराया जा सकता है। इस हेतु शासन द्वारा अतिथि व्याख्याता के लिये जारी नियमावली अनुसार उन्हें अतिरिक्त भुगतान किया जा सकता है।

- (ii) संबंधित महाविद्यालय में स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित एक प्रकोष्ठ की गठन किया जाये, जिससे एक प्रभारी प्राध्यापक एवं आवश्यकतानुसार तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारी नियुक्त किये जाए। इनका मानदेय जनभागीदारी मद/स्वाध्यायी विद्यार्थियों से प्राप्त राशि में से प्रदान किया जाये।

**स्वाध्यायी विद्यार्थियों के प्रकोष्ठ का प्रस्तावित मानदेय (मानदेय प्रतिमाह)**

क्र	छात्र संख्या	प्रभारी प्राध्यापको की संख्या	प्रभारी प्राध्यापको का मानदेय	सहायक कर्मचारियों की संख्या	सहायक कर्मचारियों का मानदेय
1	500 तक	01	1000	01	500
2	500 से 2000 तक	01	1500	02	500 (प्रति व्यक्ति)
3	2000 से 5000 तक	01	2000	04	500 (प्रति व्यक्ति)
4	5000 से अधिक	02	2000 (प्रति व्यक्ति)	05	500 (प्रति व्यक्ति)

**08. आवश्यकता अनुरूप स्वाध्यायी विद्यार्थियों से संबंधित अन्य नियम/निर्देश।**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन क्रेडिट फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्नांकित अतिरिक्त सुझाव प्रस्तुत है।

- (i) संबंधित महाविद्यालय अपने यहां पंजीकृत स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय के नियमित शैक्षणिक कार्य के पश्चात् अतिरिक्त बचे समय या अवकाश दिवस में भौतिक/ऑनलाइन रूप से कक्षाएं आयोजित करे।
- (ii) संबंधित महाविद्यालयों में आयोजित होने वाली कक्षाओं का संचालन संभवतः ब्लेंडेड मॉड में करे ताकि स्वाध्यायी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। ऐसी कक्षाओं की रिकार्डिंग करके यूट्यूब में भी डाला जा सकता है।
- (iii) महाविद्यालय के वेबसाइट में/यूट्यूब चैनल में शिक्षकों के द्वारा तैयार किय गये विडियो लेक्चर भी उपलब्ध कराये जाए जिसका लाभ सभी विद्यार्थियों को विशेष रूप से स्वाध्यायी विद्यार्थियों को मिल सके।
- (iv) अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से अवकाश दिवसों में निरंतर कक्षाये आयोजित की जाये। इसकी समय सारणी महाविद्यालय द्वारा सत्र के प्रारंभ में जारी कर दी जाये।
- (v) महाविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे की स्वाध्यायी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम भौतिक/ऑनलाइन/ब्लेंडेड/अन्य माध्यम से पूर्ण कराई जाये।
- (vi) स्वाध्यायी छात्र द्वारा सत्र के मध्य महाविद्यालय/केन्द्र को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं रहेगा।
- (vii) GE/VAC/SEC महाविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं स्वाध्यायी विद्यार्थियों को वही चयन करना होगा।


30.05.2024  
(राकेश कुमार ध्रुव)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

५

# स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु प्रस्तावित अकादमिक कैलेण्डर 2024

## प्रथम सेमेस्टर हेतु

क्रमांक	अकादमिक कार्य/गतिविधियां	स्वाध्यायी विद्यार्थियों हेतु तिथि
01	विश्वविद्यालय में स्वाध्यायी विद्यार्थियों का पंजीयन	01/10/2024 से 20/10/2024
02	संबंधित महाविद्यालय को स्वाध्यायी विद्यार्थियों की सूची का प्रेषण।	21/10/2024
03	संबंधित महाविद्यालय के द्वारा संकायवार/विषयवार स्वाध्यायी विद्यार्थियों का व्हाट्स अप ग्रुप तैयार करना। प्रत्येक व्हाट्स अप ग्रुप का Admin संबंधित संकाय/विषय का शिक्षक होगा।	21/10/2024
04	स्वाध्यायी विद्यार्थियों को महाविद्यालय में उपलब्ध GE/VAC/SEC का विद्यार्थियों से सहमति उपरांत आबंटन	21/10/2024 से 26/10/2024
05	सेमेस्टर परीक्षा के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थियों द्वारा आवेदन तिथि	15/11/2024 से 25/11/2024
06	स्वाध्यायी विद्यार्थियों की रोल नंबर अनुसार सूची का संबंधित महाविद्यालय को प्रेषण	26 अक्टूबर 2024
07	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन	01/11/2024 से 10/11/2024
08	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन	01/12/2024 से 10/12/2024
09	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा असाइनमेंट जमा करने की तिथि	15/12/2024 से 25/12/2024
10.	स्वाध्यायी विद्यार्थियों के लिए संबंधित महाविद्यालय द्वारा प्रायोगिक परीक्षा की तिथि	15/12/2024 से 31/12/2024

  
30.09.2024  
(राकेश कुमार धुव)  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग

8